FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा **173** बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** ई ओ डब्लू **P.S. (थाना):** ईओडब्ल्यू

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0085 **Year (वर्ष):** 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 29/04/2025 13:39 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	406
2	भा दं सं 1860	420
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day (दिन):** गुरुवार **Date From (दिनांक से):** 10/11/2022 **Date To (दिनांक तक):** 10/11/2022

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/04/2025

Time (समय): 12:13 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003

Date & Time (दिनांक और समय): 29/04/2025 13:39

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** पूर्वोत्तर, 12 किमी
   Beat No. (बीट सं.):
   (b) **Address (पता):** आधार सिम्फानी आवासीय परियोजना,ग्राम बैरागढ़ चीचली, कोलार , भोपाल म0प्र0।

   (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):**
   Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name (नाम):** श्री हरिओम दीक्षित निरीक्षक द्वारा आरक्षक प्रत्येक कुमार
   (b) **Father's Name (पिता का नाम) :** मेवालाल जी
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 24/11/1985 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत
   (e) **UID No. (यूआईडी सं०):**
   (f) **Passport No.(पासपोर्ट सं०):** **Date of Issue (जारी करने की तिथि):**
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1	आधार कार्ड (भा वि प प्रा)	669803411845

   (h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	42, अरेरा हिल्स, आर्थिक अपराध ,प्रकोष्ठ, इकाई ,भोपाल शहरी,मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	42, अरेरा हिल्स, आर्थिक अपराध,प्रकोष्ठ, इकाई,भोपाल शहरी,मध्य प्रदेश, भारत

   (i) **Occupation (व्यवसाय):**
   (j) **Phone number (दूरभाष सं.):**
   Mobile (मोबाइल सं.): 91-9303236404

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री दिलीप बच्चानी आधार रियल्टी के भागीदार /		पिता का नाम : श्री ताराचंद बच्चानी	1. निवासी28 निशांत कालोनी 74,74 बंगलो,भोपाल शहरी, मध्य प्रदेश,भारत

2	श्रीमती हर्षिता बच्चानी आधार रियल्टी के भागीदार /		पति का नाम : श्री दिलीप बच्चानी	1. निवासी28 निशांत कालोनी , 74 बंगलो बंगलो ,भोपाल शहरी,मध्य प्रदेश,भारत

3	श्रीमति प्रिया हरपलानी एवं अन्य /		पति का नाम : श्री हरीश हरपलानी	1. निवासी80 दीपक सोसायटी चूनभट्टी,कोलार रोड,भोपाल शहरी,मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मैं थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल म.प्र मे उप पुलिस अधीक्षक कार्यवाहक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हू। आज दिनांक 29-04-2025 को आरक्षक प्रत्येक कुमार आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल ने टाईपशुदा एंव श्री हरिओम दीक्षित निरीक्षक इकाई भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट क्रमांक 00/2025 धारा 406 420 एवं 120बी भा0द0वि0 इकाई भोपाल से लाकर थाने पर असल नम्बर पर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत की गयी, जो शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट की नकल निम्नानुसार है:- देहाती नालसी का प्रारूप (प्रथम सूचना प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) 1थानाआर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल (म.प्र.)2अपराध क्रमांक एवं धाराअप. क्र. 00/2025, धारा- 406, 420 एवं 120-बी भा.द.वि. 3घटना स्थल आधार सिम्फ नी आवासीय परियोजना, ग्राम बैरागढ़ चीचली, कोलार भोपाल म0प्र0। 4घटना का दिनांक व समय10.11.2022 5सूचना दिनांक व समय23.12.2024 6सूचना प्राप्त होने का स्थान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, कार्यालय भोपाल (म.प्र.)7देहाती नालसी लेख करने का दिनांक29.04.2025 8सूचनाकर्ता हरिओम दीक्षित, निरीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई, भोपाल (म.प्र.)9थाने से घटनास्थल की दिशा एवं दूरी लगभग 12 कि.मी. उत्तर पूर्व10नाम आरोपीगण1.आधार रियल्टीक के भागीदार श्री दिलीप बच्चानी पिता श्री ताराचंद बच्चानी,निवासी-28, निशांत कालोनी, 74 बंगलो, भोपाल म0प्र0।2. आधार रियल्टी के भागीदार श्रीमती हर्षिता बच्चा.नीपति श्री दिलीप बच्चाकनी, निवासी-28, निशांत कालोनी, 74 बंगलोबंगलो, भोपाल म0प्र0।3. श्रीमति प्रिया हरपलानी पत्नि श्री हरीश हरपलानी, निवासी-80, दीपक सोसायटी चूनभट्टी कोलार रोड, भोपाल म0प्र0 एवं अन्य विवरण मैं

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई भोपाल में निरीक्षक के पद पर पदस्थ हू। शिकायतकर्ता श्री आशीष श्रीवास्त व आत्मज एम के वर्मा द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसे मुख्यालय द्वारा शिकायत क्रमांक 320/24 पंजीबद्ध की गई, जिसमें दिलीप बच्चानी, हर्षिता बच्चानी एवं प्रिया बच्चानी द्वारा कोलार नगर पालिका (वर्तमान में नगर निगम) भोपाल के पक्ष में बंधक के रूप में रखे गये 45 फ्लेट्स न बनाकर उक्त भूमि को नगर निगम में बंधक रखे होने के बावजूद शिकायतकर्ता की बिना जानकारी के विक्रय किये जाने की शिकायत की गई है। शिकायत जांच के अनुक्रम में वर्णित आक्षेप के आलोक में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य संकलन किया गया। जांच के अनुक्रम में पाया गया की आवेदक श्री आशीष श्रीवास्तव, अनावेदक श्री दिलीप बच्चानी एवं श्रीमती हर्षिता बच्चानी के द्वारा दिनांक 14.08.2011 को आधार रियल्टी नाम से फर्म का गठन किया गया था एवं दिनांक 06.09.2013 को नवीनीकृत पार्टनरशिप डीड के अनुसार दिलीप बच्चानी 30 प्रतिशत, हर्षिता बच्चानी 40 प्रतिशत एवं शिकायतकर्ता श्री आशीष श्रीवास्तव 30 प्रतिशत के भागीदार थे। उक्त आधार रियल्टी फर्म द्वारा खसरा क्रमांक 297/3, 297/6 एवं 301 पर आधार सिम्फनी के नाम से बहुमंजिला आवासीय परियोजना विकसित किये जाने की सहमति हुई एवं उक्त स्थल पर 2 फेस में 225 फ्लेट्स का निर्माण किया जाना था।, जिसमें से प्रथम फेस में 115 एवं द्वितीय फेस में 90 फ्लेट्स का निर्माण प्रस्तावित था। आधार रियल्टी के भागीदारों श्री दिलीप बच्चानी, श्रीमती हर्षिता बच्चानी एवं श्री आशीष श्रीवास्तव द्वारा 12 मंजिला आवासीय परियोजना आधार सिम्फनी हेतु खसरा क्रमांक 297/3, 297/6 एवं 301 पर कुल क्षेत्रफल 0.810 हेक्टेयर में आधार सिम्फनी आवासीय परियोजना में कुल 225 फ्लेट्स एवं उक्त परिसर में अन्य सुविधायें सहित विभिन्न विभागों से से अनुमति प्राप्त करने हेतु आधार रियल्टी के भागीदार शिकायतकर्ता आशीष श्रीवास्तव एवं अनावेदक दिलीप बच्चानी द्वारा समस्त आवेदनों पर हस्ताक्षर किये गये थे। इसी क्रम में कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा प्रदान कालोनी के विकास की अनुमति मध्यप्रदेश नगरपालिका (कलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्ते) नियम, 1998 के अंतर्गत प्रदान की गयी है। इसके नियम 10 (2) के अंतर्गत अन्य वर्गो के व्यक्तियों के लिए निर्मित आवासीय इकाइयों के 15 प्रतिशत के बराबर आवासीय इकाईयां कमजोर वर्गो तथा निम्न आय वर्गो के लिए बनाना अनिवार्य किया गया था। इसके अतिरिक्त कालोनी का आंतरिक एवं बाहय विकास कार्य करवाना अनिवार्य किया गया था। उक्त दोनों शर्तो को सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका (कलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्ते) नियम, 1998 के नियम 12 (1) के अंतर्गत 25% निर्मित क्षेत्रफल नगरपालिका के पास बंधक रखे जाते हैं। मध्यप्रदेश नगर पालिका (कलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण,निर्बंधन तथा शर्ते) नियम, 1998 के नियम 12 (5) के अंतर्गत यदि कलोनाइजर द्वारा कमजोर वर्गो तथा निम्न आय वर्गो के लिए आवासीयइकाइयों का निर्माण यदि नहीं किया जाता है अथवा यदि कालोनी का आतंरिक एवं बाहय विकास कार्य पूर्ण नहीं किये जातें है तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी बंधक रखी गयी संपत्ति को विक्रय कर उपरोक्त सभी कार्य पूरे करवाए जाएंगे। इसी क्रम में आधार रियल्टी फर्म के भागीदार दिलीप बच्चानी एवं शिकायतकर्ता श्री आशीष श्रीवास्तव द्वारा नगर निगम अधिनियम 1998 के तहत दिनांक 25.01.2014 को बंधक पत्र डीड तत्का. नगर पालिका कोलार के पक्ष में निष्पादित की गई थी, जिसमें कुल प्रस्तावित प्रकोष्ठ भूमि के 25 प्रतिशत प्रकोष्ठ नगर निगम कोलार के पक्ष में बंधक रखे जाने की शर्ते अधिरोपित की गई थी। इसके अतिरिक्त मेसर्स आधार रियल्टी के द्वारा बंधक रखने के समय दिए गए शपथपत्र के बिंदु क्रमांक 5 में इस बात का इकरार किया गया था की जब तक बंधक रखे गए प्रकोष्ठ मुख्य नगर पालिका भोपाल द्वारा बंधक मुक्त नहीं किया जाता तब तक उन्हें किसी भी संस्था सदस्य को आवंटित, विक्रय या हस्तांतरित नहीं करेंगे एवं यह बंधक शासन के नियामक हितों की रक्षा के लिये आवश्यक था। उक्त डीड के अनुसार कोलार नगर पालिका के पूर्व अनुमति के बिना बंधक फ्लेट्स को किसी को विक्रय करना, गिरवी रखना एवं हस्तांतरण पूर्णता वर्जित था। आधार रियल्टी फर्म द्वारा फेस-1 में कुल 115 फ्लेट्स का निर्माण तो कर लिया गया, परंतु अनुमति के अनुरूप 03 वर्ष की समय सीमा में फेस-2 का निर्माण नहीं किया गया। अनुमति में आवश्यक निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये 18 फ्लेट्स का निर्माण भी नहीं किया गया। उक्त परिसर में 04 लिफ्टस के स्थान पर केवल 01 लिफ्ट लगाई गई है एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नहीं किया गया है। उक्त 12 मंजिल

भवन में फायर फाईटिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है, परंतु उक्त कार्य भी नही किया गया एवं अनुमति अनुसार क्लब हाउस एवं स्वीमिंग पूल की सुविधाएं भी नहीं प्रदान की गई है। आधार सिम्फनी परियोजना के फेस-1 में 115 फ्लेट्स में से 20 फ्लेट्स जो कि बंधक डीड दिनांक 25.01.2014 के अनुसार बंधक रखे गये थे, जिन्हें सोची समझी साजिश के तहत आधार रियल्टी के भागीदार दिलीप बच्चानी द्वारा शिकायतकर्ता श्री आशीष श्रीवास्तव को बिना पूर्ण तथ्य बताये उक्त बंधक डीड दिनांक 25.01.2014 में संशोधन कर दिनांक 24.10.2017 को कुल 47 प्रकोष्ठों में से 20 प्रकोष्ठ (क्षेत्रफल 1689.40 वर्गमीटर) के स्थान पर अन्य 18 प्रकोष्ठ (1706.10 वर्गमीटर) बंधक रखे दिये गये, जो कि फेस-2 में प्रस्तावित थे एवं इस प्रकार पूर्व बंधक रखे गये 47 फ्लेट्स के स्थान पर कुल 45 बंधक फ्लेट्स रखे गये। श्री दिलीप बच्चानी द्वारा धोखाधडी, बदनियती एवं सोची समझी साजिश के तहत फेस-1 से 20 बंधक रखे फ्लेटों को फेस-2 पर प्रस्तावित 90 फ्लेट्स का हिस्सा बनवा दिया गया, क्योंकि वह फेस-1 के उक्त 20 फ्लेटों को भी खुले बाजार में विक्रय कराना चाहता था एवं बंधक होने की स्थिति में उक्त विक्रय नहीं कर सकता था। अनावेदक दिलीप बच्चानी एवं हर्षिता बच्चानी द्वारा अनुमति के अनुरूप कमजोर आय के वर्ग के लोगों के लिये भी 18 फ्लेट्स का निर्माण भी नहीं कराया गया एवं समस्त बनाये गये फेस-1 के 115 फ्लेट्स खुले बाजार के माध्यम से विक्रय कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर लिया। शिकायतकर्ता श्री आशीष श्रीवास्तव की सहमति के बगैर शेष बची हुई 01 एकड भूमि, जिन पर 90 फ्लेट्स का निर्माण किया जाना था, जिसमें 45 बंधक फ्लेट्स भी सम्मिलित है एवं 18 फ्लेट्स कमजोर आय वर्ग (EWS) के लिये सम्मिलित है, को आधार रियल्टी के अन्य भागीदार श्री आशीष श्रीवास्तव की असहमति एवं नगर निगम भोपाल में बिना आवेदन एंव अनुमति प्राप्त किये दिनांक 10.11.2022 को श्रीमती प्रिया हरपलानी को विक्रय कर दी गई, जबकि दिनांक 25.01.2014 डीड के माध्यम से निष्पादित की गई डीड में स्पष्ट उल्लेखित था की कोलार नगर पालिका के पूर्व अनुमति के बिना बंधक फ्लेटस को किसी को विक्रय करना, गिरवी रखना एवं हस्तांतरण पूर्णता वर्जित है। श्रीमती प्रिया हरपलानी के द्वारा भी यह तथ्य जानते हुए उक्त भूमि को क्रय किया है की भूमि नगर निगम में प्रकोष्ठ बंधक है, क्योंकि उनके द्वारा विक्रय पत्र के पश्चात दिनांक 22.11.2022 को विक्रय पत्र में संशोधन कराया गया, जिसमें लेख किया गया की बंधक छुडवाने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। श्रीमति प्रिया हरपलानी द्वारा विक्रेता से नगर निगम की अनुमति प्राप्त नहीं की एवं संशोधित विक्रय पत्र नगर निगम की बिना जानकारी एवं सीधे विक्रेता श्री दिलीप बच्चानी एवं श्रीमती हर्षिता बच्चानी के साथ एकराय होकर निष्पादित करा लिया गया, जबकि प्रिया हरपलानी के संज्ञान में था की उक्त भूमि नगर निगम के पास बंधक है एवं विक्रय पत्र अथवा संशोधित विक्रय पत्र में नगर निगम की जानकारी एवं अनुमति होना आवश्यक है। अतः संपूर्ण जांच से स्पष्ट है कि श्री दिलीप बच्चानी, श्रीमती हर्षिता बच्चानी एवं श्रीमती प्रिया हरपलानी के द्वारा धोखाधडी पूर्वक अमानत में खयानत कर आधार सिम्फनी आवासीय परियोजना में अनुमति के अनुसार कमजोर आय वर्ग के 18 फ्लेट्स का निर्माण न कर एवं नगर निगम की अनुमति के बिना 45 बंधक प्रकोष्ठ की भूमि को विक्रय किया जाना प्रमाणित पाया गया है। श्री दिलीप बच्चानी एवं श्रीमती हर्षिता बच्चानी द्वारा फेस-1 के 115 फ्लेट्स विक्रय कर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ लिया जाकर बंधक की गई संपत्ति को नियत उद्देश्य के लिये संरक्षित रखने के बजाए उसे विक्रय कर आपराधिक न्यास भंग किया गया है। श्री दिलीप बच्चानी, श्रीमती हर्षिता बच्चानी एवं श्रीमती प्रियाहरपलानी द्वारा विक्रय पत्र मे यह भी उल्लेख किया गया है की विक्रित संपत्ति सभी दायित्वों एवं बंधक से मुक्त है, जबकि उक्त भूमि वैध रूप से नगर निगम के पास बंधक थी। अतएव आधार रियल्टी के भागीदार श्री दिलीप बच्चानी एवं श्रीमती हर्षिता बच्चानी व श्रीमती प्रिया हरपलानी के विरूद्ध धारा 406 (आपराधिक न्यास भंग), 420 (धोखाधडी पूर्वक बंधक संपत्ति को विक्रय करना) एवं 120-बी (आपराधिक षडयंत्र) भा.द.वि का अपराध प्रथम दृष्टया घटित किया जाना पाये जाने से देहाती नालसी लेख कर असल प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु प्रेषित है।(हरिओम दीक्षित)निरीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ,हस्ताक्षर श्री हरिओम दीक्षित निरीक्षक /जांचकर्ता, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल म.प्र.। शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट पर से थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल मध्यप्रदेश में उपरोक्त वार्णित आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 85/2025, दिनांक 29/04/2025 धारा 406 420 एवं 120बी भा0दा0 वि0 का

प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गय।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |) **or (या)**

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): HARIOM DIXET
No.(सं.): 0
Rank (पद): I (Inspector)

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.) थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):DR DINESH JOSHI
Rank(पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police
No.(सं.): 12345

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म	Build (बनावट)	Height (cms.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	महिला					
3	महिला					

Deformities/	Teeth	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)